

5

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 02/ 634
प्रति,

भोपाल दिनांक 21/06/2018

उप संचालक (प्रशासन)
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
भू-तल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल
जिला भोपाल

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./ 2229/2018/आ.सांस./1-प्रशा./अ-2/दिनांक
17.04.2018

--- 000---

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना कं० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री प्रभात नारायण भटनागर सहायक सांख्यिकी अधिकारी	01	राशि रूपयें 16,146=00 (शब्दों में रूपयें सोलह हजार एक सौ छियालीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित

A 21/06/18
(डॉ. अर्चना पुण्डीर)
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्य प्रदेश

पंचमहल सतपुरा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 02/633
प्रति,

भोपाल दिनांक 21/06/2018

कार्यालय मुख्य अभियंता (राज0परि0)
लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन,
अरेरा हिल्स भोपाल
जिला भोपाल

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./2337/1/लेखा/रा0प0/चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक/2016
दिनांक 17.04.2018

--- 000---

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री राजेन्द्र आर खाण्डेकर सहायक मानचित्रकार	05	राशि रूपयें 12,273=00 (शब्दों में रूपयें बारह हजार दो सौ तिहत्तर मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2.	श्री श्याम सुंदर जायसवाल सहायक ग्रेड-2		

टीप:- कुल राशि 14,878/- में से प्राइवेट जांच की राशि एवं आयुर्वेदिक राशि 2,605/- कम की गई है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित

A 21/06/18
(डॉ. अर्चना पुण्डीर)
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

3

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
पंचमतल संतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 02/632 भोपाल दिनांक 21/06/2018
प्रति.

उप पुलिस अधीक्षक (प्रशासन)
पुलिस मुख्यालय (अपराध अनुसंधान विभाग) भोपाल
जिला भोपाल

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./पुमु/अअवि/लेखा/मेडि/272/18 दिनांक 05.04.2018

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	ईमानवेल फेरी	01	राशि रूपयें 1,109=00 (शब्दों में रूपयें एक हजार एक सौ नौ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित

A 21/06/18
(डॉ. अर्चना पुण्डीर)
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

(2)

रजिस्टर्ड

मध्य प्रदेश स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

पंचमतल सतगुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 02/631 भोपाल दिनांक 21/06/2018
प्रति,

उप पुलिस अधीक्षक (प्रशासन)
पुलिस मुख्यालय (अपराध अनुसंधान विभाग) भोपाल
जिला भोपाल

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./पुमु/अअवि/लेखा/मेडि/270/18 दिनांक 05.04.2018

--- 000 ---

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री मनोज सिसोदिया प्र०आर०	03	राशि रूपयें 9,859=00 (शब्दों में रूपयें नौ हजार आठ सौ उनसठ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित

21/06/18
(डॉ. अर्चना पुण्डीर)
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 02/ 630
प्रति,

भोपाल दिनांक 21/06/2018

सहायक महानिरीक्षक
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, (ई.ओ.डब्ल्यू.)
42, अरेरा हिल्स ईओडब्ल्यू भवन भोपाल
जिला भोपाल

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./प्रकोष्ठ/कैश/03-16/1336/18 दिनांक 07.04.2018


— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना कं० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

कं०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री हुसैन अहमद कुरैशी उप निरीक्षक प्रकोष्ठ मुख्यालय	04	राशि रूपयें 30,115=00 (शब्दों में रूपयें तीस हजार एक सौ पंद्रह मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित


(डॉ. अर्चना पुण्डीर)
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 03/ 629
प्रति,

भोपाल दिनांक 21/06/2018

अधीक्षण यंत्री
लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण मंडल
भू-तल, प्लॉट नं 27-28 अरेरा हिल्स भोपाल
जिला भोपाल

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./991/स्था/चि0दे0/अ0य0/से0म0/2018 दिनांक
09.04.2018

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना कं0 एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

कं0	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्रीमती विमला सिंह, सहायक ग्रेड-3	01	राशि रूपयें 8,692=00 (शब्दों में रूपयें आठ हजार छः सौ बानवे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित

21/06/18
(डॉ. अर्चना पुण्डीर)
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमहल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 03/628
प्रति,

भोपाल दिनांक 21/06/2018

रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट,
कार्यालय जिला सत्र न्यायाधीश
जिला देवास (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./1652/मेडिकल/2018 दिनांक 02.05.2018

— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री जोगेन्द्र सिंह, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास	01	राशि रूपयें 26,837=00 (शब्दों में रूपयें छब्बीस हजार आठ सौ सैंतीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित

21/06/18
(डॉ. अर्चना पुण्डीर)
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

(4)

रजिस्टर्ड

संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्थें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुडा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 03/627
प्रति,

भोपाल दिनांक 21/06/2018

सहायक महानिरीक्षक
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ई.ओ.डबल्यू)
42, अरेरा हिल्स ई.ओ.डबल्यू भवन भोपाल
जिला भोपाल (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./प्रकोष्ठ/केश/06-16/1835/2018 दिनांक 07.05.2018
— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री प्रहलाद सिंह मण्डलोई एवं श्री राकेश द्विवेदी	18	राशि रूपयें 78,555=00 (शब्दों में रूपयें अठत्तर हजार पांच सौ पचपन मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित

A 21/06/18
(डॉ. अर्चना पुण्डीर)
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्थें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 03/626 भोपाल दिनांक 21/06/2018
प्रति,

सहायक संचालक मत्स्योद्योग
जिला रीवा (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./428/म/लेखा/2018-19 दिनांक 26.04.2018
— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना कं० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

कं०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री संजय श्रीवास्तव, मत्स्य निरीक्षक डॉ०के०डी०सिंह सहायक प्राध्यापक जी०एम० हास्पिटल रीवा	08	राशि रूपयें 74,730=00 (शब्दों में रूपयें चौहत्तर हजार सात सौ तीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित

A 21/06/18
(डॉ. अर्चना पुण्डीर)
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
पंचमतल सतपुडा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 03/ 625 भोपाल दिनांक 21/06/2018
प्रति,

पुलिस अधीक्षक
पीटीएस (मोटर ट्रांसपोर्ट)
जिला भोपाल (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क. पु0अ0/पीटीएस/एमटी/भो0/मेडि/1738/2018 दिनांक
25.04.2018


--- 000---

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की
अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में
निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है, के चिकित्सा देयक
द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या
नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी
कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	निरी०पी० पंचलैया एवं आर० 1451 विनोद पांडे	04	राशि रूपयें 18,557=00 (शब्दों में रूपयें अठारह हजार पांच सौ सत्तावन मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित


(डॉ. अर्चना पुण्डीर)
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 03/624
प्रति,

भोपाल दिनांक 21/06/2018

पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय)
"सी" ब्लॉक, पुराना सचिवालय
जिला भोपाल (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क. पुअ/मुख्या/भो/मेडि/54/2018 दिनांक 11.04.2018
— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना कं० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित हैं।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

कं०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	उनि-राजन सिंह गुर्जर	01	राशि रूपयें 66,036=00 (शब्दों में रूपयें छियासठ हजार छत्तीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित

A 21/06/18
(डॉ. अर्चना पुण्डीर)
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेव.ये
मध्यप्रदेश
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 05/ 623 भोपाल दिनांक 21/06/2018
प्रति,

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
जिला इंदौर म.प्र.

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./2018/लेखा/चिकि/1040 दिनांक 10.05.2018

— 000—


मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री मुकेश कुशवाह व्याख्याता शास.अहित्याश्रम कन्या उ.मा. वि.क्र.01 इंदौर	02	राशि रूपये 41,195=00 (शब्दों में रूपये इकतालीस हजार एक सौ पचानवे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

टीप :- राशि रूपये 74,444/- का चिकित्सा देयक प्राप्त नहीं हुआ और राशि रूपये 41,195/- स्वीकृत योग्य।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित


(डॉ. अर्चना पुण्डीर)
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्थ
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 05/622
प्रति,

भोपाल दिनांक 21/06/2018

कार्यालय पुलिस अधीक्षक
जिला टीकमगढ़ म.प्र.

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./पु0अधी0/टीकमगढ़/व्ही0सी0/691-RA/2018 दिनांक
11.05.2018

— 000 —


मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	जगदीश प्रसाद शर्मा प्र०आर०-199	01	—

टीप :- दवाओं का उल्लेख कर प्रतिहस्ताक्षर उपरांत भेजे।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित


(डॉ. अर्चना पुण्डीर)
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 05/621
प्रति,

भोपाल दिनांक 21/06/2018

कार्यालय अधीक्षण यंत्री
निर्माण विभाग, सेतु निर्माण मण्डल
भू-तल, प्लॉट नं 27-28 अरेरा हिल्स भोपाल
जिला भोपाल म.प्र.

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./1311/स्था/चि0दे0/अ0य0/से0म0/2018 दिनांक
18.05.2018


— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्रीमती डोरथी सागर सहायक ग्रेड-3	03	राशि रूपयें 9,700=00 (शब्दों में रूपयें नौ हजार सात सौ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित


(डॉ. अर्चना पुण्डीर)
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 05/620
प्रति.

भोपाल दिनांक 21/06/2018

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला उज्जैन म.प्र.

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./6047/तीन-14-03/2018 दिनांक 08.05.2018


— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना कं० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

कं०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	कुमारी करुणा त्रिवेदी सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश	01	राशि रूपयें 1,39,652=00 (शब्दों में रूपयें एक लाख उनचासी हजार छः सौ बावन मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित


(डॉ. अर्चना पुण्डीर)
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमताल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 05/619
प्रति,

भोपाल दिनांक 21/06/2018

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला भोपाल म.प्र.

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./2993/2018 दिनांक 18.05.2018

— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री रणजीत सिंह सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश	01	राशि रूपयें 13,538=00 (शब्दों में रूपयें तेरह हजार पांच सौ अड़तीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित

A 21/06/18
(डॉ. अर्चना पुण्डोर)
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 01/618
प्रति,

भोपाल दिनांक 21/06/2018

रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला देवास म.प्र.

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./1158/मेडिकल/2018 दिनांक 06.04.2018


— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, तत्कालीन अपर जिला सत्र न्यायाधीश, सोनकच्छ, देवास	01	राशि रूपयें 33,799-00 (शब्दों में रूपयें तीस हजार सात सौ निन्यानवे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित


(डॉ. अर्चना पुण्डीर)
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
पंचमतल सतपुडा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 01/617
प्रति,

भोपाल दिनांक 21/06/2018

रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला रतलाम

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./722/चिकित्सा प्रतिपूर्ति/18 दिनांक 28.03.2018


— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	सुश्री संचिता भदकारिया तृतीय व्यवहार न्यायाधीश रतलाम	01	राशि रूपयें 7,511=00 (शब्दों में रूपयें सात हजार पांच सौ ग्यारहा मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित


21/06/18
(डॉ. अर्चना पुण्डीर)
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 01/ 616
प्रति,

भोपाल दिनांक 21/06/2018

रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला रतलाम म.प्र.

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./702/चिकित्सा प्रतिपूर्ति/15-18 दिनांक 27.03.2018


--- 000---

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री सत्येन्द्र जोशी, तत्कालीन द्वितीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश, रतलाम	03	राशि रूपयें 5730=00 (शब्दों में रूपयें पांच हजार सात सौ तीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित


(डॉ. अर्चना पुण्डीर)
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क. / 4 / एम.आर. / सेल-1 / द्वि.अ. / एफ 01 / 615
प्रति,

भोपाल दिनांक 21/06/2018

कार्यालय-प्रधान न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय
जिला ग्वालियर म.प्र.

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क. / 548 / लेखा(05) / 18 दिनांक 02.04.2018

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना कं० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

कं०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	स्व० श्री शेर सिंह अर्गल, भृत्य	04	राशि रूपयें 36,632=00 (शब्दों में रूपयें छत्तीस हजार छः सौ बत्तीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित

21/06/18
(डॉ. अर्चना पुण्डीर)
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 01/614
प्रति,

भोपाल दिनांक 21/06/2018

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला ग्वालियर म.प्र.

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./1777/तीन-13-14/2014 दिनांक 02.04.2018

— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना कं० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

कं०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री बी.एस.परमार, सेवा निवृत्त जिला न्यायाधीश	01	राशि रूपयें 7465=00 (शब्दों में रूपयें सात हजार चार सौ षष्ठ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित

21/06/18
(डॉ. अर्चना पुण्डीर)
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 01/613

भोपाल दिनांक 24/06/2018

प्रति,

पुलिस मुख्यालय (अपराध अनुसंधान विभाग)
जिला भोपाल म.प्र.

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र./पुमु/अअवि/लेखा/मेडि/252/2018 दिनांक 03.04.2018

--- 000 ---

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री मनोज सिसोदिया, प्र०आर०	01	राशि रूपयें 4097=00 (शब्दों में रूपयें चार हजार सत्तानवे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड-
से अनुमोदित

21/06/18
(डॉ. अर्चना पुण्डीर)
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

④

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 01/ 612
प्रति,

भोपाल दिनांक 21/06/2018

कार्यालय सेनानी
प्रथम वाहिनी विसबल इंदौर
जिला इंदौर

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./एम.आर./जी-1376/17 दिनांक 03.04.2018


— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री धन्नालाल कास्टे, निरीक्षक	01	राशि रूपये 9285=52 (शब्दों में रूपयें नौ हजार दो सौ पचासी रूपये बावन पैसे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित


(डॉ. अर्चना पुण्डीर)
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

3

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
पंचमतल सतपुडा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 01/611
प्रति,

भोपाल दिनांक 21/06/2018

कार्यालय मुख्य अभियंता
बोधी, जल संसाधन विभाग,
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर भोपाल
जिला भोपाल

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./1341/एम.आर.3/बोधी/2018 दिनांक 03.04.2018

--- 000 ---

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री ए.पी.तिवारी, सहायक ग्रेड-3	03	राशि रूपयें 3171=90 (शब्दों में रूपयें तीन हजार एक सौ इकहत्तर रूपये नब्बे पैसे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित

A 21/06/18
(डॉ. अर्चना पुण्डोर)
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

2

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

रजिस्टर्ड

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 01/610

भोपाल दिनांक 24/06/2018

प्रति,

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (लेखा)
पुलिस मुख्यालय भोपाल
जिला भोपाल

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./पुमु/8/लेखा/मेडि/5/677/18 दिनांक 22.03.2018


— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री मनोज मिश्रा, सूबेदार-अ पुलिस मुख्यालय भोपाल	04	राशि रूपयें 4,006=00 (शब्दों में रूपयें चार हजार छः मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित


(डॉ. अर्चना पुण्डीर)
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 01/609
प्रति,

भोपाल दिनांक 21/06/2018

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला ग्वालियर

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ :- आपका पत्र क./1724/तीन-13-39/2014 दिनांक 28.03.2018

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अधिकारी/कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृत राशि
1.	श्री प्रेमनारायण झा, सहायक ग्रेड-2 जिला न्यायालय ग्वालियर	01	राशि रूपयें 3,741=00 (शब्दों में रूपयें तीन हजार सात सौ इकतालीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित

21/06/18
(डॉ. अर्चना पुण्डरीर)
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश